कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / शालादर्पण / 60306 / 2019/65 दिनांक:25/06/2020

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक।
4. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।

विषय : शाला दर्पण पोर्टल के उपयोग के संबंध में।

प्रसंग : राजस्थान सरकार, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग का पत्र क्रमांक : प. 4(6)शिक्षा–1 / शाला दर्पण / 2019 पार्ट–।।, जयपुर दिनांक : 19.06.2020, इस कार्यालय का पत्र क्रमांक : शिविरा–मा / माध्य / शाला दर्पण / 2016–17 / 55 दिनांक : 06.09.2016 तथा शिविरा–मा / माध्य / शालादर्पण / 60306(2) / 2017–18 दिनांक : 12.09.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि शिक्षा विभाग के अधीन संचालित माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के समस्त विद्यालयों, कार्मिकों एवं विद्यार्थियों के संबंध में सूचनाएं शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध हैं। प्रासंगिक पत्रों द्वारा पूर्व में निर्देशित किया गया था कि पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं का अधिकतम उपयोग करते हुए संस्था प्रधानों / पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) से सीधे ऑफलाईन सूचनाएं नहीं मांगी जावे।

इस पत्र द्वारा पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त कार्यालय शाला दर्पण पर उपलब्ध सूचनाओं को विश्वसनीय तथा उपयोगी बनाने के लिए अधीनस्थ विद्यालयों से यथासमय अद्यतन करवाकर उपयोग करेंगे। उपलब्ध सूचना के अतिरिक्त प्रारूप में आवश्यकता होने पर शाला दर्पण प्रकोष्ठ–बीकानेर / जयपुर से सम्पर्क करें। उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान–जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
5. शासन उपसचिव, प्रथम, शिक्षा ग्रुप–1, राजस्थान सरकार।
6. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर।
7. समस्त संस्था प्रधान / पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ), राजकीय विद्यालय।
8. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
12. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा–मा / माध्य / शाला दर्पण / 2016–17/55 दिनांक :- 6.9.16

जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा
(प्रथम / द्वितीय)–समस्त जिले

विषय :–शाला दर्पण पोर्टल के उपयोग के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है शाला दर्पण पोर्टल को अधिक उपयोगी बनाये जाने हेतु आवश्यक है कि विद्यालयों एवं समस्त कार्यालयों में उसके डाटा का उपयोग किया जावें इस हेतु आपको निर्देश दिये जाते है कि –

1. माध्यमिक शिक्षा के समस्त राजकीय विद्यालयों में सत्र 2015–16 मे अध्ययनरत उत्तीर्ण विद्यार्थीयां को यदि शाला दर्पण पोर्टल पर क्रमोन्नत नही किया गया है तो तत्काल क्रमोन्नत करे, जिससे शाला दर्पण पर कक्षावार व विद्यालयवार नामांकन सही हो सके।
2. अनुत्तीर्ण अथवा किसी कारण से एन.एस.ओ विद्यार्थीयो की उपर्युक्त प्रविष्ठी हेतु शाला दर्पण पर विद्यालय लॉगीन द्वारा विद्यार्थी option मे जाकर REPEAT REQUEST के माध्यम से तत्काल सही करे ।
3. जिन विद्यार्थीयो को ऑफ लाईन टी.सी जारी कर दी गई है उन विद्यार्थीयो की शाला दर्पण पोर्टल से टीसी जारी करवाना सुनिश्चित कर उनकी शाला दर्पण से जारी की गई टी.सी. का क्रमांक एस.आर. रजिस्टर मे दर्ज करना सुनिश्चित करे।
4. माध्यमिक शिक्षा के समस्त राजकीय विद्यालयों में सत्र 2015–16 एवं उसके बाद अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की टी०सी० किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन जारी नही की जावेंगी अर्थात् शाला दर्पण से जारी ऑनलाईन टी०सी० व क्रमांक ही मान्य होगें।
5. माध्यमिक शिक्षा के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत समस्त कार्मिकों की कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण शाला दर्पण के द्वारा ऑनलाईन ही की जावें किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण आदेश मान्य नही होंगे।
6. शाला दर्पण के डाटा को अधिक प्रमाणिक बनायें जाने के लिए यह आवश्यक है कि विभाग के समस्त कार्यालयों में इसके डाटा का उपयोग सुनिश्चित किया जावें एवं अन्य किसी भी प्रकार की रिपोर्ट्स की आवश्यकता होने पर उसका प्रारूप शाला दर्पण प्रकोष्ठ –जयपुर को उपलब्ध करवाया जावें ताकि उन्हे तैयार कर आपके लॉगिन पर दिखाया जा सके। विद्यालयों से वह सुचनायें बार–बार नही ली जावें जो कि शाला दर्पण पर आपके लॉगिन पर उपलब्ध है।
7. कार्मिकों की कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण को शाला दर्पण पर सुनिश्चित करने हेतु अपने जिले के कोष कार्यालयों से सम्पर्क कर वेतन बिल प्रपत्र–3ए की प्रति के आधार पर पारित करवायें जावें।

(बी.एल. स्वर्णकार)
I.A.S
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि –सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा ।
2. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
3. रक्षित पत्रावली ।

6.9.16

सहायक निदेशक(शाला दर्पण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा / माध्य / शालादर्पण / 60306(2) / 2017–18 दिनांक – 12.9.2017

समस्त उपनिदेशक,
माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा
समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

अति– आवश्यक

विषयः–शालादर्पण एवं शालादर्शन पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करने के संबंध में ।

प्रसंग :–शासन का पत्रांक प.4(16)शिक्षा–1 / 2014 पार्ट जयपुर दिनांक 15.11.16 एवं इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक शिविरा–मा / माध्य / शालादर्पण / 60306 / 16–17 / 108 दिनांक 24.11.16

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में लेख है कि शिक्षा विभाग के अधीन संचालित माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के समस्त विद्यालयों, कार्मिकों एवं विद्यार्थियों के संबंध में सूचनाएं क्रमशः शालादर्पण एवं शालादर्शन पोर्टल पर उपलब्ध हैं। प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्व में निर्देशित किया गया था कि पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं का अधिकतम उपयोग करते हुए विद्यालयों से सीधे सूचनाएं नहीं मांगी जावे, बावजूद इसके यह देखने में आ रहा है कि कार्यालयों द्वारा सीधे ही संस्था प्रधानों से सूचनाऐं मांगी जा रही है जिसे शासन स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।

अतः इस पत्र द्वारा समस्त कार्यालयों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि शालादर्पण एवं शालादर्शन पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाएं संस्था प्रधानों तथा पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) से नहीं मांगी जावे । आवश्यक सूचना पोर्टल पर ही अद्यतन करवाकर उपयोग करें तथा उपलब्ध सूचना के अतिरिक्त अन्य प्रारूप में आवश्यकता होने पर शालादर्पण / शालादर्शन प्रकोष्ठ बीकानेर तथा जयपुर से संपर्क करें। उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(पी.सी.किशन)
आईएएस
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

(नथमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, राजस्थान जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् राजस्थान जयपुर ।
4. प्रभारी शालादर्पण प्रकोष्ठ / शालादर्शन प्रकोष्ठ जयपुर / बीकानेर ।
5. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा ।
6. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

E:\GOVIND GEN.LETTER